

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:-एफ1()/2/पी.आई.एस./एच.आर./डी.ई.एस./2015/1/78774

दिनांक :- 11-01-2018

उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
जिला

विषय :- सभी प्रकार के अवकाश "राज-काज" पोर्टल के माध्यम से आवेदित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख कि दिनांक 01.01.2018 से विभाग द्वारा "राज-काज" पोर्टल को समस्त जिला एवं ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों में अनिवार्यतः लागू किया जा चुका है। पोर्टल के उपयोग हेतु दिनांक 02.01.2018 को समस्त जिला व ब्लॉक पर कार्यरत कार्मिकों को वी.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है तथा निदेशालय व जिला कार्यालयों द्वारा सभी कार्मिकों का Personal Data, Leave Hierarchy and Leave Balance "राज-काज" पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है।

उक्त क्रम में सभी जिला/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यक्तिगत एस.एस.ओ. लॉगिन "राज-काज" पोर्टल पर Access कराना सुनिश्चित करें। यदि कार्मिक को "राज-काज" पोर्टल पर Access करने में या Access करने के बाद Post Name, Leave Hierarchy, Leave Balance etc में किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे तो वे कार्मिक अपने जिले में पदस्थापित "राज-काज" सहयोगी से संपर्क कर सूचनाएं अविलम्ब सही करावें।

अब किसी भी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिकों के किसी भी प्रकार के अवकाश को "राज-काज" पोर्टल के अतिरिक्त अन्य माध्यम से स्वीकृत नहीं किया जावेगा। किसी अधिकारी द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना की जाती है तो ऐसे अधिकारी पर राजस्थान सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। यदि 1 जनवरी 2018 के बाद किसी कार्मिक का कोई भी अवकाश ऑफलाइन माध्यम से स्वीकृत किया जा चुका है तो उसे अविलम्ब पोर्टल के माध्यम से आवेदित करवाकर स्वीकृत किया जावे।

(कुलदीप भटनागर)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक:-एफ1()/2/पी.आई.एस./एच.आर./डी.ई.एस./2015/1/78774

दिनांक :- 11-01-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

1. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त उप/सहायक निदेशक को प्रेषित कर लेख है कि वे सम्बन्धित ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी से उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।
3. रक्षित पत्रावली।

(कुलदीप भटनागर)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)